प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

~~परिशिष्ट 'सतहत्तर'~~ [24/2/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1936]

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल–462004

क्रमांक एफ 12–01/2013/सात/2ए भोपाल,दिनांक08 अप्रैल, 2013

प्रति,
कलेक्टर,
जिला– धार,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट (संयत्र) की स्थापना के लिए तहसील मनावर एवं गंधवानी, जिला धार की कुल 105.688 हे0 निजी भूमि के अर्जन की अनुमति।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक 12097/भू–अर्जन/2012, दिनांक 21–08–2012

–00–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट (संयत्र) की स्थापना के लिए तहसील मनावर एवं गंधवानी, जिला धार के ग्राम टोंकी की 74.384 हे., ग्राम टेमरनी की 17.947 हे., ग्राम गोलपुरा की 0.518 हे., ग्राम सोण्डुल की 2.119 हे. ग्राम मोराड़ की 2.502 हे., ग्राम देवरा की 2.987 हे., ग्राम मोहाली की 4.588 हे. एवं सीतापुरी की 0.623 हे. कुल 08 ग्रामों की रकबा 105.688 हे0 निजी भूमि को भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर भू–अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31.10.07) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति, म0प्र0 शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय–समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें लागू होगें। जिसका पूर्णतः पालन करते हुये पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की कार्यवाही की जाए।संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संयबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जाएगी। मान. मुख्यमंत्रीजी की मुआवजा के संबंध में की गई घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्वास पैकेज में अतिरिक्त पुनर्वास योजना दिये जाने हेतु प्रावधान किया जाएगा। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उन्हें प्रस्तुत पुनर्वास प्रस्ताव पर अपने अभिमत सहित आयुक्त के माध्यम से वर्तमान आदेश जारी करने से अनिवार्यतः दो माह में शासन को प्रस्तुत करें। शासन द्वारा लिया गया निर्णय कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा।

2. भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू–अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर संभावित राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कलेक्टर के द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही की जाए।

3. संबंधित कम्पनी के लिए भू–अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू–अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अंतर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तो के अनुसार किया जाए।

2...

4. कम्पनी के संबंध में करारनामा, बंधन–बद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये जिला कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।

5. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जाना होगा।

6. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा।

7. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

8. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जाएगा।

9. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने क अधिकार भू अर्जन अधिनियम की धारा 44–क के तहत राज्य शासन की अनुमति के बगैर नहीं होगा।

10. यदि कम्पनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा भू अर्जन अधिनियम के अनुसार देय नहीं होगा।

11. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन, निर्माण नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज, पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा।

13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उन्हें प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जाएगा।

<u>विशेष शर्तें :–</u>

14. भू–अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाए कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो PESA ACT के प्रावधान अनुसार ग्राम सभा से राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12–46/97/सात–9 भोपाल,दिनांक 31.01.2000 के अनुसरण में परामर्श किया जाए।

3...

15. भू–अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (Sanctuary) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(किरण मिश्रा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग

पृष्ठांकक्रमांक एफ 12–01/2013/सात/2ए भोपाल,दिनांक 08 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर पत्र क्रमांक 431/5/कोर्ट/2012, दिनांक 29–08–2012 के संदर्भ में।
2. श्रीकृष्ण शर्मा,विभाग प्रमुख (भूमि एवं प्रशासन मामले) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,अंबुजा सेन्टर,ए–विंग,प्रथम तल,महाकाली केव्ज रोड,अंधेरी (ईस्ट) मुंबई–400093 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग